न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/46/2016

मीरा देवी पत्नि रूघाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कृपाराम तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)

–वादीया

बनाम

1. भींवाराम पुत्र टोडाराम
2. छगनलाल पुत्र टोडाराम
3. गोमाराम पुत्र मोहन
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाणी कृपाराम तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)
4. पटवारी हल्का कुमास जागीर, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5. उपपंजीयक नेछवा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर
7. नायब तहसीलदार, नेछवा, जिला–सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– **दिनांक–24.05.2018**

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेंगा। यह कि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही हिन्दू मिताक्षरा परिवार के सदस्य है।

यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक वंशानुगत की कृषि काश्त की आराजी है जो इनके पूर्वज नानु पुत्र झूथा की खोतदारी व कब्जे, काश्त की आराजी रही है उनकी मृत्यु के पश्चात आराजी में वादीया के ससुर परताराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता टोडाराम का 1/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के दत्तक पिता गोमाराम का रहा ताकि इसी अनुसार आराजी के मौके पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग निरन्तर निर्बाध रुप से साधिकार चला आ रहा है, लेकिन इसके पूर्वज नानू पुत्र झूथा के फौत हो जाने के पश्चात उनकी विरासत जरिये नामांतरकरण संख्या 11 के द्वारा खातेदारी गलत रुप से टोडा व मोहना के नाम दर्ज कर दी तथा वादीया के ससुर परताराम के नाम से विरासत से खातेदारी दर्ज की जो वादीया व इनके ससुर के हक, अधिकारों के समक्ष कतई खिलाफ है। इस कारण इनका 1/3 हिस्सा विरासतन हक, अधिकार होने के आधार पर वादीया के नाम 1/3 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी की उद्घोषणा फरमायी जावे तथा वर्तमान खाता बनाम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से से अधिक का निरस्त फरमाया जावें।

यह कि वादग्रस्त आराजी के अलावा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक वंशानुगत की आराजियात वाके ग्राम ढाणी कृपाराम में आराजियात खसरा नम्बर 48, 49, 50, 103, 106 अवस्थित है जो इनके पूर्वज नानू पुत्र झूथा की विरासत के है जिनमें सही रुप से टोडा, मोहन, परता समान रुप से विरासतन खातेदारी दर्ज हुई है जो आज दिवस वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुताबिक सजरा खानदान खातेदारी दर्ज है तथा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज, काश्त है। लेकिन वादग्रस्त आराजी की खातेदारी गलत विरासत नामांतरकरण संख्या 11 के द्वारा गलत रुप से टोडाराम व मोहन के ही नाम से दर्ज हुई, वादीया के ससुर परताराम के नाम से सहवन से खातेदारी दर्ज हुई जो वादीया के हक, अधिकारों के समक्ष कतई, अकृत, शुन्य व प्रभावहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीया 1/3 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी अपने नाम से उद्घोषित करवाये जाने की अधिकारिनी है एवं गलत खातेदारी की आड़ में वादीया के विधिक 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें एवं वादीया के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा करने से तादौराने दावा बाज रहें।

यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित है जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज नानू पुत्र झूथा के नाम की खातेदारी व कब्जे, काश्त की होने के बावजूद भी इनकी विरासत गलत रुप से अकेले टोडा मोहन के नाम दर्ज कर दी गयी तथा वादीया के ससुर परता के नाम दर्ज नहीं की गयी जो वादीया के हक, अधिकारों के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन होने से निरस्त किये

Web Copy, Not Official

जाने योग्य है तथा वादीया के नाम 1/3 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी दर्ज की जानी आवश्यक है।

यह कि वादग्रस्त आराजी में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पूर्वज नानू पुत्र झूथा की विरासतन होने के कारण व वादीया के ससुर परता के नाम विरासतन सहवन से दर्ज नहीं होने व अपने नाम गलत खातेदारी या अपने नाम से गलत खातेदारी अपने–अपने हिस्से से अधिक की दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से आराजी को विक्रय, रहन, अन्तरण करने को आमादा है तथा वादीया के इनके 1/3 हिस्से से बेदखल करने करवाने को आमादा है जिनकों ऐसा करने का कोई हक, अधिकार नहीं है तथा वादीया के हक, अधिकारों के समक्ष कतई अकृत, शून्य व प्रभावहीन होने से वादीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवायें जाने की अधिकारिनी है कि वे स्वयं मय नौकर, चाकर, एजेंट, प्रतिनिधि वादग्रस्त आराजी में अपने नाम अपने हिस्से से अधिक की खातेदारी को रहन, विक्रय, अन्तरण करने करवाने से व वादीया के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी करने करवाने से तादौराने दावा बाज रहें।

यह कि प्रतिवादीगण ने वादीया को अपने अकेले के नाम खातेदारी दर्ज होने की एलानियां धमकी दी कि जमीन की खातेदारी हमारे नाम से है आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हम जमीन को बेचेगें तथा तुम्हें बेदखल करेगें इस पर वादीया ने राजस्व रिकार्ड से नकले दिनांक 26.07.2016 को प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से खातेदारी दुरुस्त करवाने या वादीया के नाम से 1/3 हिस्से की खोतदारी दर्ज करवाने हेतु कई मर्तबा निवेदन यिका गया तथा वादीया विधवा औरत है इसके नाम इनका 1/3 हिस्सा विधिक खातेदारी दर्ज करवा दो लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पहले तो हां में कहते रहे एवं अन्त में दिनाक 25.08.2016 को स्पष्ट इंकार हो गये तथा आराजी को बेचान की धमकी दिये जाने से वादीया को वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ।

यह कि वाद–पत्र में वादग्रस्त आसजी की खातेदारी गलत रुप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 राजस्व कर्मचारी, अधिकार भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाए गये है लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के खिलाफ कोई सीधी सहायता नहीं चाही गयी हैं।

यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में स्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादीया/प्रार्थीया इस्तदुआ करती है– (क) कि वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है में वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि भाग की काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमायी जावें। (ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी की खातेदारी को विक्रय, रहन, अन्तरण नहीं करें एवम् न ही वादीया के उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी पैदा करें तथा आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें एवम् प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 अपने यहां से किसी प्रकार का प्रलेख पंजीबद्व नहीं करें करवायें। (ग) कि अन्य न्योयोचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने की अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये परन्तु जवाब दावा पेश नहीं किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प काछवा में पेश हुई। पत्रावली आदेशिका का अवलोकन किया जिसमें काफी दिनों से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से जवाब दावा पेश नहीं होने पर जवाब दावा बंद किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें जाहिर होता है कि वादिया पति रूघाराम जो कि परताराम के दत्तक पुत्र थे, उक्त का नाम वर्णित नामान्तरकरण भरते समय सहवन से छूट जाना जाहिर होता है जिस पर केम्प स्थल पर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से उक्त नामान्तरकरण व वादग्रस्त आराजी से संबंधित रिकार्ड की स्थिति रिपोर्ट हेतु मौखिक निर्देशित किया गया जिस पर रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अंकित किया कि ''ग्राम जवली के ख.नं. 88 रकबा 2.00 है. की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार टोडा मोहना पि. नानू जाति जाट सा. ढाणी कृपाराम के नाम से दर्ज है। ग्राम जेवली के नामान्तरकरण सं 13 दिनांक 27.09.1960 में विरासत का नामान्तरकरण भरते समय सहवन से टोडा मोहन के सगा भाई परताराम का नाम भूलवश छूट गया जबकि ग्राम ढाणी कृपाराम के खाता संत्र 12 जमाबंदी संवत 2059 से 2062 में मोहन टोडा परता पि. नानू दर्ज है। विरासत के द्वारा परता के स्थान पर रूघाराम दत्तक पुत्र परताराम व उसके वारिस के स्थान पर मीरादेवी पत्नी रूघाराम वारिस है।'' उक्तानुसर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादिया का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. का वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि भाग की काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अन्य खातेदारों के हिस्से में संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट काछवा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मण्गढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

मीरा देवी बनाम भींवाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 48/2018 **निर्णय दिनांक– 24.05.2018**

वादीया..... व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादिया का वाद डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 2.00 हैक्टेयर तन ग्राम जेवली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. का वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजी में वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि भाग की काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अन्य खातेदारों के हिस्से में संशोधन एवम् अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 24.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– काछवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official